प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून,दिनांक 11 मई, 2005

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2005 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–1411/ XXVII(3)म/2004,दिनांक 02 नवम्बर, 2004
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–फा0सं01(1)/2005, संस्था–11(ख)/263, दिनांक 31 मार्च, 2005।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 एवं 31 मार्च, 2005 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2005 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

तिथि,जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2005	वेतन का 17 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,दिनांक 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी,1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2005 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित कमांक–(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जनवरी, 2005 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 59 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून,1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4– इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2005 से 31 मई, 2005 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की

जायेगी,और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2005 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते मे जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 जून, 2006 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी,परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500(1)97,दिनांक 07 अक्टूबर,1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जून, 2005 (भुगतान दिनांक: 30 जून, 2005 को देय) से नकद किया जायेगा।

6– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है,अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 मई, 2005 तक सेवानिवृत होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या : 174/ XXVII(3)म/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

vit 3